

न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां (राज०)

पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 61/2025

बउनवान

सरकार जयें रविन्द्र मिल , प्रवर्तन निरीक्षक, (बारां)

(प्रार्थी)

बनाम

श्री संजय पुत्र श्री योगेन्द्र, निवासी केलवाड़ा

(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत

उपस्थिति :- 1. परोकार रसद

(प्रार्थी)

2. महेश प्रकाश गौतम एडवोकेट

(अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 28.07.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.03.2025 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढ़ते व्यावसायिक दुरुपयोग की शिकायत के क्रम में प्रार्थी हमराह रविन्द्र कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, खत्री रेस्टोरेंट केलवाड़ा पर पहुंचे मौके पर श्री संजय पुत्र श्री योगेन्द्र, निवासी केलवाड़ा उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के भाग 3 के बिन्दु संख्या 3,4,5 व 7 का उल्लंघन पाये जाने पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स समरानियां इण्डेन ग्रामीण समरानियां की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया।

इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जयें अभिभाषक उपस्थित हुआ तथा जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करना चाहा।

हमने बहस उभयपक्ष परोकार रसद एवं उपस्थित अप्रार्थी अभिभाषक की सुनी।

दौराने बहस परोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा 1 गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

बहस के दौरान अप्रार्थी अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अज्ञानता के कारण घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग कर लिया गया था। आगे से प्रार्थी अपनी भोजनालय दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नहीं करेगा। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध की गई कार्यवाही निरस्त फरमाने का आदेश प्रदान करें।



जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी ने बहस के दौरान स्वयं घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते हैं कि जप्तशुदा INDANE गैस सिलेण्डर नम्बर 042933S का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/- रुपये यानि एक गैस सिलेण्डर की कुल 2500/- रुपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नहीं लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक मैसर्स समरानियां इण्डेन ग्रामीण समरानियां को कीमत पर दिया जाकर उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(Signature)
(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर, बारां
बारां (राज०)